हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा
कार्यसूची
षष्टम सत्र
मंगलवार, 12 अगस्त, 2014/21 श्रावण, 1936 (शक्)
11.00 बजे पूर्वाह्न

1. **प्रश्नोत्तर**ः

   (1) **तारांकितः** (पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे)

   (i) स्थगित

   (ii) दिन के लिए

   (2) **अतारांकितः** (पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे)

   (i) दिन के लिए

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे**ः

   (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगेः-

   (i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम,1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13;

   (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट (अप्रैल 1, 2012 से मार्च 31, 2013);

   (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फर्स्ट अमेंडमेंट) रूल्ज़, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः का0(नि-IV)-ए(3)-1/2010 दिनांक 19.7.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.7.2014 को प्रकाशित;

   (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-7/2011 दिनांक 15.5.2011 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.5.2014 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अवर सचिव, (गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा), वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति संशोधन नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)-ए(3)-5/2013 दिनांक 22.2.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.2.2014 को प्रकाशित; और

(vi) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98(8) के अन्तर्गत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का कार्रवाई प्रतिवेदन।

(2) **श्री जी0एस0बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगेः-

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(2) (j) और धारा 29(1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान स्तर की सतर्कता समिति स्थापित करने जोकि अधिसूचना संख्याः FDS-F(6) 3/2010 दिनांक 20.11. 2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.2.2014 को प्रकाशित;

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(2) (c,d & e) और धारा 15(2) के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति जोकि अधिसूचना संख्याः FDS-A(3) 02/2009-I दिनांक 12. 09.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.2.2014 को प्रकाशित;

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 की धारा 40 (2) (a) और धारा 10(1) के अन्तर्गत प्राथमिक गृह स्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शिका जोकि अधिसूचना संख्याः FDS-A(3) 02/2009 दिनांक 01.08.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.3.2014 को प्रकाशित; और

(iv) बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड का वार्षिक लेखा एवं बेलेंस शीट (Balance Sheet) वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित)।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री कुलदीप कुमार,सभापति,प्राक्कलन समिति(वर्ष 2014-15),** समिति का **षष्ठम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवी विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 38वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011 -12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति,(वर्ष 2014-15),** समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (वा0) के पैरा संख्याः3.1 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15)जोकि **आबकारी एवं कराधान विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(5) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि निजी एवं सरकारी क्षेत्र में स्थापित रेशम उद्योग की गतिविधियों की समीक्षा पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-**

(1) **डॉ0 राजीव बिन्दल,** "दिनांक 6 व 7 अगस्त, 2014 की मध्यरात्रि को नाहन विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत गांव बोहलियों, शम्भूवाला, सतिवाला, रूखड़ी में भारी बरसात व बादल फटने से हुई जान-माल की क्षति" से उत्पन्न स्थिति की ओर **माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः**

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज,** प्रस्ताव करेंगे कि "यह सदन राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (RUSA) के प्रावधानों पर विचार करे।"

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा ,**

दिनांकः 11 अगस्त 2014 07:30 PM **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो,की भी जांच कर लें)